हैं वर्ष 1989-90 में सरकारी क्षेत्र के अठारह उद्यमों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा वर्ष 1990-91 में सरकारी क्षेत्र के 28 उद्यमों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की सम्भावना है।

(ग) जी, हां। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली ग्यारह कम्पनियों का निवल लाभ वर्ष 1987-88 के 1991.78 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1988-89 में 2480.61 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 1989-90 के आंकड़े सितम्बर, 1990 में उपलब्ध हो सकेंगे। बहरहाल, समझौता ज्ञापन प्रणाली के अन्तर्गत कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन का एकमात्र मापदण्ड लाभ ही नहीं है और अन्य मापदण्डों के तहत भी सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों ने बेहतर कार्य-निष्पादन किया है।

(घ) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रणाली वर्ष 1988-89 में प्रारम्भ हुई तथा तबसे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कम्पनियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, क्योंकि समझौता ज्ञापन लागू करने के पूर्व पर्याप्त प्रशिक्षण प्रयासों की आवश्यकता होती है।

Movement of Pakistani seafarers in Indian Ports harbouring naval basis

2203. DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the recent reports that Pakistani seafarers employed on merchant ships and also in foreign vessels enjoy complete freedom of movement in the Indian Ports which also harbour naval basis; and

(b) if so, what steps Government propose to take to restrict their movement in the interests of national security?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA): (a) No such case has come to the notice of the Government in the recent past.

(b) Does not rise. The Navy has standing arrangements for guarding their installations against all unauthorised foreigners.

आयुध कारखाना, खमरीया, जबलपुर

2204. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर उच्च न्यायालय ने श्री एच. आर. यादव, सी. एच/एम-1/ए-5 आयुध कारखाना, खमरीया, जबलपुर (मध्य प्रदेश) की पदोन्नति के मामले में किए गए कदाचार के संबंध में श्री यादव द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर उन्हें समुचित प्रोन्नति देने का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया और जबलपुर उच्च न्यायालय के फैसले को ही सही माना ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री यादव ने आयुध कारखाने के अध्यक्ष से 23 अप्रैल, 1990 को और उससे पहले भी उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों को लागू करने का अनुरोध किया था ; और

(घ) यदि ऊपर पूछे गए भाग (क) (ख) और (ग) का उत्तर "हां" है, तो सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री यादव को प्रोन्नति के संबंध में दिए गए आदेशों को कब तक लागू करेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने 4 अप्रैल, 1983

के आदेश में निर्देश दिया था कि आवेदकों को वरीयता पुनः निधारित की जाए। आवेदकों में श्री एच. आर. यादव भी शामिल थे। उच्चतम न्यायालय ने अपने 28 मार्च, 1989 के निर्णय के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का अनुमोदन कर दिया था। उक्त आदेश को कार्यान्वित कर दिया गया है।

रोजगार में कथित वृद्धि

2205. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मई, 1990 के "हिन्दुस्तान टाम्इस" समाचार में "रोजगार में 4.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि, पी एच डी सी सी आई" शीर्षक से प्रकाशित, उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें गरीबी उन्मूलन के उपाए बताए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) उक्त सुझाव के कार्यान्वियन के संबंध में सरकार की भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग) यह समाचार, "रोजगार सृजन के लिए कार्यनीति : कुछ मुद्दे" नामक अध्ययन के संदर्भ में है, जो अप्रैल, 1990 में पी एच डी सी सी आई द्वारा किया गया। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि यदि आठवीं योजना के दौरान सभी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाना है तो रोजगार सृजन को 4.3 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ाना होगा, इसमें यह भी बताया गया है कि आठवीं योजना अवधि में बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन किया जा सकता है यह बात सोचना विवेकपूर्ण नहीं होगा, लेकिन यह कि इस उद्देश्य के लिए दीर्घावधिक कार्यनीति तैयार करना वांछनीय होगा। इस अध्ययन में दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव हैं-जनसंख्या संवृद्धि, निरक्षता और खराब स्वास्थ्य में कमी करने; व्यावसायिक प्रशिक्षण अवसरों को बढ़ाने, आवश्यकताओं के अनुरूप जनशक्ति आयोजना और जनशक्ति विकास, आयोजना के विकेन्द्रीकरण स्वरोजगार पर अभिकेन्द्रण, स्थानीय, संसाधनों के अधिकतम उपयोग, भूमि विकास, कृषि और उद्योगों तथा ग्रामीण व शहरी केन्द्रों के बीच बेहतर सम्पर्कों का विकास; प्रशिक्षण, वित्त व्यवस्था, आधार संरचना तक अभिगम इत्यादि के प्रावधान के माध्यम से असंगठित क्षेत्र का संवर्द्धन और संगठित क्षेत्र विशेष कर निजी, संगठित क्षेत्र की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उपाय जैसे निवेश की स्थिति सुधारने के लिए मांग, पूर्ति, आधार संरचना इत्यादि बाधाओं का निराकरण निवेश की स्थिति सुधारने के लिए, औद्योगिक रुग्णता से निपटना, औद्योगिक संबंधों के परिदृश्य का सुधार, सहायक उद्योगीकरण, निजी निर्माण क्रियाकलापों और तृतीयक क्षेत्र का संवर्द्धन करने के कदम उठाए जाने चाहिए।

आठवीं पंचवर्षीय योजनायें तैयार करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कार्य योजना का कार्यान्वयन

2206. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस कलेंडर वर्ष के शुरू में देश के ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक कार्य योजना के कार्यान्वियन की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कथित कार्य योजना के कार्यान्वियन का काम शुरू हो गया है; और